छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण क्रमांक 131/2008*</u>

1.	**वन मण्डलाधिकारी,** **कवर्धा वनमण्डल,** **कवर्धा (छत्तीसगढ़)**	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1.	*प्रथम अपीलीय अधिकारी* **एवं वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त,** **दुर्ग (छत्तीसगढ़)**	-	*प्रति अपीलार्थी*

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 24 जून, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि श्री सुरेश नखत, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव के सूचना का अधिकार के आवेदन के संबंध में प्रस्तुत प्रथम अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी/वन सरंक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग ने एक आदेश दिनांक 14.11.2007 को पारित किया और कुछ जानकारी 20 दिवस के अन्दर निःशुल्क प्रदान करने के निर्देश दिये गये, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर वन मण्डलाधिकारी, कवर्धा ने आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में आवेदक श्री सुरेश नखत भी उपस्थित थे और उन्हें भी सुना गया । अपीलार्थी वन मण्डलाधिकारी ने अपनी अपील के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा माँगी गई जानकारी अत्यंत विस्तृत थी, अतः उन्होंने अधिनियम की धारा-7(9) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलार्थी को अभिलेखों का निरीक्षण कर, अपनी आवश्यकतानुसार छायाप्रति हेतु लेख किया था, किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपील में सुनवाई के बाद वन मण्डलाधिकारी के तर्को पर बिलकुल विचार नही किया और जो निर्णय पारित किया वह निरस्त करने योग्य है । प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा आवेदक श्री सुरेश नखत द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान जो जानकारी अत्यंत विस्तृत थी वह कंडिका क्रमांक-1, 2, 4 एवं 5 के संबंध में तो विस्तृत जानकारी मानकर उनके संबंध में वन मण्डलाधिकारी का तर्क स्वीकार करके उसको छूट दे दी गई थी, किन्तु बिन्दु क्रमांक-3, 6, 7, एवं 8 की जानकारी चूंकि विस्तृत नही थी और चूंकि जानकारी देने में विलंब हुआ था, अतः उसकी जानकारी 20 दिवस

के अन्दर नि:शुल्क देने के निर्देश दिये गये थे । एक अन्य अपील में यह भी बताया गया कि उक्त जानकारी बाद में तैयार की जा चुकी है और दी जा रही है, अत: उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी वन मण्डलाधिकारी के तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नही है और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जो आदेश दिया है, वह अपने स्थान पर सही है ।

3/ अत: उक्त अपील निरस्त की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त